

| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विनोद कुमार पुत्र पुखराज ब्रह्मपुरी निवासी ग्राम साण्डिया वाया चण्डावल जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :- 12/2026 जीसीएमएस नं. :- 2026/19 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
|-----------------------|--|---|
| <p>10.03.2026</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत द्वारा अपील का जवाब पेश नहीं किया गया है। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे। 6. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सोजत को पाबन्द किया जाता है कि वे भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावेगी। 7. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p> | |